न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर म0प्र0

- I/निगरानी/सागर/भूरा/2017/3181

श्रीमति लच्छो बाई उर्फ गुलाबरानी पत्नि गुपाल पटैल

साकिन- ग्राम ढाना, तह0 व जिला सागर -- आवेदिका

॥ विरूद्ध ॥

1. राजेन्द्र कुमार तनय लक्ष्मीनारायण सोनी
2. महेन्द्र कुमार तनयं लक्ष्मीनारायण सोनी

निवासी- चकराघाट वार्ड, कोतवाली रोड, सागर

-- अनावेदकगण

रिव्हीजन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता

आवेदिका माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, सागर द्वारा रा0प्र0क्र0 1483अ/6 वर्ष 2015-16 पारित आदेश दि. 20.6.17 से परिवेदित होकर निम्न कानूनी तथ्यों के आधार पर रिवीजन प्रस्तुत करती हैं-

1:- यह कि आवेदिका की पैत्रिक कृषि भूमि ग्राम सागर खास प0ह0नं0 65 रा0नि0मं0 सागर तह0 व जिला सागर भूमि खसरा नं. 417/4 रकवा 1.29 एकड़ एवं ख0नं0 418/2 रकवा 1.14 एकड़ कुल रकवा 2.43 एकड़ कृषि भूमि है जिस पर राजस्व अभिलेख में आवेदिका एवं उसकी भाभी मीरा बाई पत्नि स्व. दलफत पटैल का नाम दर्ज हैं।

2:- यह कि, पूर्व में उक्त भूमि प्यारे लाल के नाम से थीं एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वैधानिक उत्तराधिकारी आवेदिका लच्छो बाई उर्फ गुलाबरानी, मां सैंजली बहू वा भाई दलफत का नामदर्ज हो गया था। तथा भाई दलफत की मृत्यु उपरांत सहखातेदार मीराबाई पत्नि स्वर्गीय दलफत तथा आवेदिका ने बैनामा दिनांक 8.12.87 में कोई सहमति विक्रय पत्र में नहीं दी थी तथा जब अनावेदकगण ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय में नामांतरण हेतू वर्ष 2013-14 में आवेदन दिया, तब आवेदिका जानकारी होने पर उपस्थित हुई क्योंकि उक्त भूमि में आवेदिका का 1/3 हक्क व हिस्सा ...य प्यारे लाल की मृत्यु उपरांत है, तथा खाते में मीरा बाई का नाम ...नीक दर्ज है, तब बगैर मीरा बाई को पक्षकार बनाये प्रकरण में ...रना अवैधानिक एवं नियम में विपरीत हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3181 लच्छो विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार सुरखी के प्रकरण क्रमांक 148/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-07-2017 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

	लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 4.10.19 सदस्य	